

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जॉन-11
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



मामला सं. 169 और वर्ष 2013

प्रमातीलाल पुत्र सुन्दर जाति जाट सा.देह., सुन्दर पब्लिक स्कूल समिति जरिये सचिव रामफूल चौधरी पुत्र श्री प्रमातीलाल चौधरी निवासी-ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर

आवेदक

विषय- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक 27/8/13

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:-

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल हैक्ट. में	स्वामित्व
तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	ग्राम महापुरा	1100	0.3750	प्रमातीलाल पुत्र सुन्दर हि. 1200/3750 जाति जाट सा.देह., सुन्दर पब्लिक स्कूल समिति जरिये सचिव रामफूल चौधरी पुत्र श्री प्रमातीलाल चौधरी हि. 2550/3750 निवासी-ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर
		1118	0.06	प्रमातीलाल पुत्र सुन्दर जाति जाट सा. देह.
		कुल किता 2	कुल रकबा 0.4350 हैक्ट.	

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिघृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिघृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का गैर कृषि संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के ख.न. 1100 रकबा 0.3750 हैक्ट. ख.न. 1118 रकबा 0.06 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.4350 हैक्ट. में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिघृति अधिकारों को उक्त भूमि का गैर कृषि संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रमारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।
यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 27/8/13 को पारित किया गया।

(संजय जैन)
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जॉन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
दिनांक 27/8/13

क्रमांक: जयप्रा/उपा./जॉन-11/2013

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अवगत की गयी-

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. तहसीलदार, सांगानेर तहसील को पूर्वोक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. प्रभारी नागरिक सेवा केंद्र को उनके पंजीयन क्रमांक 178265 दिनांक 24.7.13 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

(संजय जैन)
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जॉन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर